

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103004052016

दांडिक प्रकरण क्र.-399 / 16

संस्थापित दिनांक-04.10.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।अभियोजन	
विरुद्ध	
01-केशव कोली पुत्र स्व0 नत्थु कोली उम्र 22 साल निवासी ग्राम प्राणपुर थाना चंदेरी अशोकनगर।आरोपी	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

:- निर्णय :-

(आज दिनांक 01.03.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354, 323 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 323 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 354 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04- अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रानी कोली ने दिनांक 15.08.16 को आरक्षी केन्द्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को जब वह लेटरिंग करने सरकारी बाग में जा रही थी कि गांव का केशव कोली बाबडी पर बैठा था उससे बोला कि चल आजा अपन दोनों नहा लें। उसने कहा कि तेरे मां-बहन नहीं हैं क्या सोई केशव कोली ने आकर उसका बुरी नीयत से बांया हाथ पकड लिया तथा उसने विरोध किया तो उसके बाएं गाल पर थप्पड मारे। वह चिल्लाई तो जब्बू और मन्नू ने घटना देखी उन्हें देखकर केशव कोली भाग गया। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 395/16 के अंतर्गत भादवि की धारा 354, 323 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05- प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 354, 323 के अंतर्गत अपराध

रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया तथा आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1. क्या आरोपी ने दिनांक 15.08.16 को समय 07.00 बजे सरकारी बाग प्राणपुर पर फरियादिया रानी कोली जो कि एक स्त्री है उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 रानी कोली, अ.सा. 02 गणेशराम, अ.सा. 03 उर्मिला, अ.सा. 04 जब्बू उर्फ जैनाराम, अ.सा. 05 मन्नू उर्फ मनमोहन की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 रानी कोली ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह बाबडी पर गई थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया था और बोल रहा था कि बाबडी में नहा लें तथा मना करने पर उसने थप्पड़ मार दिए थे और फिर वह भाग गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसने घटना की रिपोर्ट प्रपी 01 लेखबद्ध कराई थी। अपने प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी वह व्यक्ति नहीं है जिसने उक्त घटना कारित की है। उक्त साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया है कि आरोपी ने उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की। अ.सा. 02 गणेशराम ने अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है तथा वह आरोपी को नहीं जानता। अ.सा. 03 उर्मिला ने भी अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानती। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा. 04 जब्बू ने अपने कथन में बताया है कि उसे भी घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा. 05 मन्नू ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है।

09— अभियोजन द्वारा जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि अ.सा. 02 लगायत अ.सा. 05 ने घटना की कोई जानकारी न होना व्यक्त किया है। अ.सा. 01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि आरोपी वह व्यक्ति नहीं है जिसने उसके साथ घटना कारित की थी। इस प्रकार प्रकरण में फरियादिया के कथनों में न केवल विरोधाभास है, बल्कि उसके कथनों से ऐसा प्रकट हो रहा है कि न्यायालय का आरोपी वह व्यक्ति नहीं है जिसने फरियादिया के साथ अपराध कारित किया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षीगण पक्षद्रोही हो गए हैं तथा उनके द्वारा अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादिया की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन

अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादवि की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

13— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द. प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(जफर इकबाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)